रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2016, शनिवार/कार्तिक 22—कार्तिक 28, 1938

No. 43] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2016, SATURDAY/KARTIKA 22—KARTIKA 28, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 204.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी - 2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में आशुलिपिक श्रेणी 2 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, आशुलिपिक श्रेणी 2, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 207.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में तकनीकी पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में तकनीकी पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है |

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी पर्यवेक्षक	08* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 5 (रु. 29200-92300)	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष तक) **नोट :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i) सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा रसायन अथवा जैव रसायन में स्नातक उपाधि । (ii) जैविक अथवा फार्मास्यूटिकल विशेषत: कम्पलेन्स गुड मैन्यूफैक्चरिंग व्यवहार (सीजीएमपी) पर्यावरण में निर्माण अथवा परीक्षण में एक वर्ष का अनुभव । **नोट :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) निदेशक के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । टिप्पण :- इस दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरम्भिक प्रशिक्षण शामिल है ।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) प्रोन्नति द्वारा 70 प्रतिशत, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | (ii) सीधी भर्ती द्वारा 30 प्रतिशत ।	**प्रोन्नति :-** (i) ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने . स्तर – 4 (रू. 25500-81100) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास आयुर्विज्ञान में बैचलर की डिग्री हो । (ii) ऐसे प्रयोगशाला सहायक जिन्होंने स्तर - 3 (रू. 21700-69100) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास आयुर्विज्ञान में बैचलर की डिग्री हो । **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो | **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए अर्हता सूची को संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा के पूर्ण कर लेने की तारीख़ के संदर्भ में तैयार किया जाएगा । **टिप्पण 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतानमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान

	बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति :** क (i) मूल संवर्ग केंद्रीय सरकार के अधिकारी अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण कर रहे हों अथवा (ii) स्तर - 4 (रू. 25500-81100) या समतुल्य के स्तर वेतन में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं। **टिप्पणी 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय असमाधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 4.** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
प्रोन्नति और पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार है :- (i) निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - अध्यक्ष (ii) उप सहायक निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई – सदस्य (iii) तकनीकी अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई – सदस्य (iv) केन्द्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/18/2015-ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Technical Supervisor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Technical Supervisor in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Technical Supervisor, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in the Pay Matrix.**—The number of said post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non – selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Supervisor	08* (2016) *Subject to variation dependant on workload.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 35400-112400/-).	Non-selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note.** - The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).	(i) Bachelor's degree in Microbiology or Bio-Technology or Chemistry or Bio-Chemistry; (ii) one year experience in manufacturing or testing of biological or pharmaceuticals preferably in Compliance Good Manufacturing Practices (CGMP) environment. Note.-The qualifications(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Director in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Director is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruitment **Note:** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	(i) 70% by promotion failing which by deputation; (ii) 30% by direct recruitment.	**Promotion:** (i) Scientific Assistant with five years regular service in Level-4 (Rs. 25500-81100/-) and having a Bachelor's Degree in Life Science; (ii) Lab Assistant with ten years regular service in Level-3 (Rs. 21700-69100/-) and having a Bachelor's Degree in Life Science. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular service by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Deputation:** Officers of the Central Government:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:- (1) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai -Chairman; (2) Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member; (3) Technical Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member; (4) Gazetted officer from Central or State Government -Member	Not applicable.

			thereto on a regular basis in Level-4 (Rs. 25500-81100/-)or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1:** The departmental officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty- six years. **Note 4 :** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. A-12018/18/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007, का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में फार्म अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

Corrigendum - TS

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 26—अप्रैल 1, 2017, शनिवार/चैत्र 5—चैत्र 11, 1939

No. 12] NEW DELHI, MARCH 26—APRIL 1, 2017, SATURDAY/CHAITRA 5—CHAITRA 11, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

सा.का.नि. 98.—भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को पृष्ठ संख्या 1183 पर प्रकाशित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के सा.का.नि. 207 से सम्बन्धित अधिसूचना के अंग्रेजी भाग में निर्दिष्ट 'अनुसूची' की तालिका के कालम (4) में उल्लिखित "लेवल-5 (35400-112400/-रु.)" की जगह "लेवल-5 (29200-92300/-रु.)" पढ़ा जाए।

[सं. ए-12018/18/2015-ईपीआई]

बी.एल.मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st March, 2017

G.S.R. 98.—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 207, dated 15th November, 2016, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated 19th November, 2016, at page 1183, in the Schedule, in column (4) of the Table, for "Level-5 (Rs.35400-112400/-)", read "Level-5 (Rs.29200-92300/-)".

[No. A-12018/18/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्कृति मंत्रालय, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **संस्कृति मंत्रालय, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 में -**

   (क) नियम 2 में, दोनों स्थानों पर उल्लिखित "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे ;

   (ख) अनुसूची में -

   (i) स्तंभ (4) में, शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

   "वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

   (ii) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

   "स्तर-1 (18000-56900 रु.)"।

[फा.सं. ए-12018/1/2010-स्था.]

मनोज देहुरी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम तारीख 21 नवंबर, 2015 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में तारीख 12 नवंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 21st March, 2017

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amends in the Ministry of Culture, Multi-Tasking Staff (Group 'C') Posts Recruitment Rules, 2015, namely:-